

विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर

क्रमांक: वि.रा.कों/संकाय/2018/

दिनांक : 30.04.2018

श्री संजय चेची
छात्रप्रतिनिधि
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर।
मोबाईल नं.-9166604009

नोटिस

आपके पोस्टर महाविद्यालय परिसर/द्वार, नोटिस बोर्ड, पार्किंग, दीवार आदि स्थानों पर चस्पा किए हुए हैं। आपका उक्त कृत्य स्वच्छता अभियान को प्रभावित करने के साथ-साथ "राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006" का भी उल्लंघन है।

अतः इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने पोस्टर महाविद्यालय परिसर एवं उसके आस-पास से तुरन्त प्रभाव से हटा कर महाविद्यालय प्रशासन को सूचित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध "राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006" के तहत नियमानुसार अनुशासनात्मक/कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

Alha

PRINCIPAL
University Rajasthan College
JAIPUR

दिनांक : 30.04.2018

क्रमांक: वि.रा.कों/संकाय/2018/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. मुख्य कुलानुशासक (चीफ प्रॉक्टर), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. महापौर जयपुर नगर निगम, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर।
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना-गांधी नगर, जयपुर।
5. छात्र सूचना पट्ट, विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर।

Alha

प्राचार्य
PRINCIPAL
University Rajasthan College
JAIPUR